प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>**

---

**<u>कोरम:</u>** **<u>माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं</u>**

**<u>माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायमूर्तिगण</u>**

---

**<u>दांडिक अपील क्रमांक 152/2004</u>**

गुलाम महमूद और एक अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

**और**

**<u>दांडिक अपील क्रमांक 153/2004</u>**

गुलाम अख्तर

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

**<u>निर्णय</u>**

**(विचारार्थ-प्रस्तुत)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/-**

**टी.पी. शर्मा**

**न्यायाधीश**

**<u>माननीय न्यायमूर्तिगण श्री आर.एल. झंवर</u>**

**मै सहमत हूँ ।**

**सही/-**

**आर.एल. झंवर,**

**न्यायाधीश**

**(दिनांक 03/02/2010 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें)**

**सही/-**

**टी.पी. शर्मा**
**न्यायाधीश**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

---

**कोरम: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं**

**माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायमूर्तिगण**

---

**दांडिक अपील क्रमांक 152/2004**

**अपीलार्थीगण** (अभिरक्षा में)

1. गुलाम महमूद, आयु 22 वर्ष, पिता गुलाम सफदर,
2. गुलाम सफदर, आयु 63 वर्ष, पिता गुलाम हैदर,

निवासी ग्राम-केदारपुर, थाना प्रेमनगर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रेमनगर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

**और**

**दांडिक अपील क्रमांक 153/2004**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**<u>अपीलार्थी</u>** गुलाम अख्तर, आयु 28 वर्ष, पिता गुलाम सफदर,

(अभिरक्षा में) निवासी ग्राम-केदारपुर, थाना प्रेमनगर, जिला

सरगुजा (छ.ग.)

**बनाम**

**<u>प्रत्यर्थी</u>** छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रेमनगर,

जिला सरगुजा (छ.ग)

**<u>(दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)</u>**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

<u>उपस्थित:</u>

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता |

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार झा,

उप-शासकीय अधिवक्ता |

---

**<u>निर्णय</u>**

**(दिनांक 03.02.2010 को पारित)**

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा, द्वारा पारित किया गया -

1. अपीलार्थीगण- गुलाम महमूद और गुलाम सफदर द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक 152/2004 और अपीलार्थी-गुलाम अख्तर द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक 153/2004, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 405/2002 में पारित दिनांक 19.1.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुध्द हैं, अत: उक्त प्रकरणों का निराकरण इस सामान निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. उपरोक्त दांडिक अपीलें प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 405/2002 में दिनांक 19.1.2004 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आदेश के विरुद्ध हैं, जिसके द्वारा विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दांडिक अपील क्रमांक 152/2004 में अपीलकर्तागण गुलाम महमूद और गुलाम सफदर को और दांडिक अपील क्रमांक 153/2004 में गुलाम अख्तर को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34, 307/34, 324/34 और 324/34 के तहत दंडनीय अपराध कारित करने का दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास और 1000/- रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह का कठोर कारावास, क्रमश: सात वर्ष का कठोर कारावास और 1000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह का कठोर कारावास, एक वर्ष का कठोर कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जुर्माना अदा न करने पर दो माह का सश्रम कारावास और एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना तथा 500/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

3. निर्णय इस आधार पर आक्षेपित है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा लिए गए बचाव पर विचार नहीं किया है कि उन्होंने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यूनतम चोटें पहुंचाई हैं जिसके की वे भारतीय दंड संहिता की धारा 97 और 100 के अंतर्गत हकदार हैं और इस प्रकार अविधिकता कारित की।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि घटना दिनांक 8.7.2002 की सुबह लगभग 7 बजे, मृतक अब्दुल माजिद, जमशेद अली, हलीमा बीबी और जमशेद अली के भाई और बहन अपने घर में उपस्थित थे, अपीलार्थीगण नुरेशा बेगम, श्रीमती सरातुन और गुलाम अहमद के साथ उनके घर आए, वे कटार, तलवार, लाठी लिए हुए थे और उन्होंने अब्दुल माजिद और हलीमा बानो पर हमला किया। जब दिलशेर अली और सिराज अपने पिता माजिद अली को बचाने आए, तो उपरोक्त अभियुक्त व्यक्तियों ने उन पर भी हमला किया। अपीलार्थी गुलाम महमूद ने हलीमा बानो को उनके पेट और पीठ पर कटार से हमला किया, वह गिर पड़ी। सभी अपीलार्थीगण

ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों सहित अब्दुल माजिद पर तलवार, कटार, रॉड और लाठी से हमला किया और अब्दुल माजिद की तत्काल मृत्यु कारित की। उन्होंने सिराज अली और दिलशेर अली को भी चोट कारित की। घटना के समय गवाह तेजाराम, छत्तरधारी, अमरजीत, भोला प्रसाद, जानकी, जगदीश, सुखराम और सुखराम के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। जमशेर अली (अ.सा.- 2) तुरंत थाने गया और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/2) के द्वारा और मर्ग सूचना (प्रदर्श-पी/3) के द्वारा अभिलिखित करवाई। विवेचना अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए और (प्रदर्श-पी/15) के द्वारा गवाहों को आहूत करने के पश्चात्, मृतक अब्दुल माजिद के शव की मृत्युसमीक्षा प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/1) के द्वारा तैयार की। मृतक अब्दुल माजिद का शव, शव-परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रेमनगर भेजा गया। डॉ. ए.एल. सोनी (अ.सा.- 14) ने (प्रदर्श-पी/13) के द्वारा शव का परीक्षण किया गया और निम्नलिखित चोटें पाई गईं:-

1) बाएं कान के पिन्ना पर एक कटा हुआ घाव जो पिन्ना के मध्य से लोब्यूल की जड़ तक काट रहा था, आकार 3 से.मी. पिन्ना की पूरी मोटाई तक।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2) सिर के बाएं ओसीपिटल भाग पर कटा हुआ घाव, आकार 5 से.मी. **x** 1 से.मी. **x** मस्तिष्क की गहराई तक। ओसीपिटल हड्डी कटी हुई थी।

चोट क्रमांक 1 गंभीर प्रकृति की थी और चोट क्रमांक 2 घातक प्रकृति की थी और मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थी। मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप शॉक के कारण हुई थी और मृत्यु मानव-वध प्रकृति की थी। रक्तरंजित मिट्टी, सादी मिट्टी, एक लाठी और चूड़ियों के टुकड़े (प्रदर्श-पी/5) के द्वारा मौके से बरामद किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. घायल हलीमा बीबी उर्फ़ हलीमा बानो को भी चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. सत्यकेतु गुप्ता (अ.सा.-19) ने उनका (प्रदर्श-पी/33) के द्वारा परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:

1) बाएं निचले स्कैपुलर क्षेत्र पर एक कटा हुआ घाव, आकार 2 ½ से.मी. **x** 1 ½ से.मी. अग्रवर्ती छाती की दीवार की ओर छिद्रित और छाती की चोट बाहरी आकार 1 से.मी. **x** 1 से.मी. थ्रू एंड थ्रू थी|

2) दाहिने हाथ पर सूजन, आकार 7 से.मी. **x** 3 से.मी.

चोट क्रमांक 1 गंभीर प्रकृति की थी। घायल सिराज का भी डॉ. सत्यकेतु गुप्ता (अ.सा.-19) द्वारा (प्रदर्श-पी/34) के द्वारा परीक्षण किया गया और सिर के बाएं ओसीपिटल क्षेत्र पर एक कटा हुआ घाव, आकार 3 से.मी. **x ½** से.मी. और बाएं घुटने पर एक खरोंच आकार 2 से.मी. **x** 1 से.मी. पाया गया था। सिर का एक्स-रे करने सलाह दिया गया। घायल दिलशेर अली का भी डॉ. सत्यकेतु गुप्ता (अ.सा.-19) द्वारा (प्रदर्श-पी/35) के द्वारा परीक्षण किया गया और पैरिएटल क्षेत्र पर एक कटा हुआ घाव, आकार 4 से.मी. **x** 1 से.मी. **x ½** से.मी., दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच एक फटा हुआ घाव, आकार 2 से.मी. **x ½** से.मी. **x ½** से.मी. और दाहिने स्कैपुलर क्षेत्र और कमर के दाहिने हिस्से पर एक खरोंच पाया गया था। चोटें गंभीर प्रकृति की थीं। विवेचना के दौरान, अपीलार्थी गुलाम अहमद को (प्रदर्श-पी /5अ) के द्वारा हिरासत में लिया गया। उसने कुल्हाड़ी के बारे में मेमोरेण्डम कथन दिया और जिसे अपीलार्थी गुलाम अहमद की निशानदेही पर (प्रदर्श-पी/6) के माध्यम से बरामद किया गया। अपीलार्थी गुलाम अख्तर को हिरासत में लिया गया। उसने कुल्हाड़ी के बारे में मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श-पी/5ख) के माध्यम से दिया और जिसे अपीलार्थी गुलाम अख्तर के निशानदेही पर (प्रदर्श-पी/8) के माध्यम से बरामद किया गया। अपीलार्थी गुलाम सबदर को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हिरासत में लिया गया। उसने लाठी के बारे में मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श-पी/6अ) के माध्यम से दिया और जिसे अपीलार्थी गुलाम सबदर की निशानदेही पर (प्रदर्श-पी/9) के द्वारा बरामद किया गया। अपीलार्थी गुलाम महमूद ने कटार और रॉड के बारे में मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श-पी/7अ) के माध्यम से दिया और रॉड अपीलार्थी गुलाम महमूद की निशानदेही पर (प्रदर्श-पी/10) के माध्यम से बरामद किया गया। कटार और तलवार मौके से बरामद की गईं। जब्त वस्तुओं का डॉ. सत्यकेतु गुप्ता (अ.सा.- 19) द्वारा (प्रदर्श-पी/29) से (प्रदर्श-पी/32) के द्वारा परीक्षण किया गया। जब्त वस्तुओं को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया और कटार, तलवार, लाठी, कुल्हाड़ी और रॉड पर खून की मौजूदगी वस्तु अ के द्वारा पुष्टि की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित किए गए। विवेचना पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर के समक्ष अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने प्रकरण को विचारण न्यायालय, सरगुजा (अम्बिकापुर) को उपार्जित कर दिया, जहां से विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर ने विचारण के लिए अंतरण पर प्रकरण प्राप्त किया।

7. अभियुक्त/अपीलार्थीगण का अपराध साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल 19 गवाहों का परीक्षण कराया। अभियुक्त/अपीलार्थीगण के बयान संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किए गए जहां उन्होंने अपने विरुद्ध आरोपों से इनकार किया और अपने निर्दोष होने तथा झूठे फंसाए जाने का अभिवाक किया। अपीलार्थीगण ने विशिष्ट बचाव लिया है कि शिकायतकर्ता पक्ष ने अपीलार्थी गुलाम अहमद पर हमला किया और चार चोटें पहुंचाईं और सिरातुन को एक चोट पहुंचाई। उनका भी डॉ. सत्यकेतु गुप्ता (अ.सा.- 19) द्वारा (प्रदर्श-डी/1) और (प्रदर्श-डी/2) के द्वारा परीक्षण किया गया। उन्हें तत्काल लोक प्राधिकारियों से कोई सहायता उपलब्ध नहीं थी। शिकायतकर्ता पक्ष अभियुक्त पक्ष के घर आया और उन्होंने अभियुक्त पक्ष पर तलवार, कटार और अन्य खतरनाक हथियारों से हमला किया, इसलिए अभियुक्त पक्ष के पास अपनी जान बचाने के लिए चोट कारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, फिर व्यक्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए, उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए आवश्यक न्यूनतम चोट पहुंचाई। बचाव पक्ष ने सागर सिंह (ब.सा.-1) और डॉ. सत्यकेतु गुप्ता का परीक्षण कराया है। सागर सिंह (ब.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिलशेर और अब्दुल माजिद खेत में मौजूद थे और जब अपीलार्थी गुलाम अहमद बीज लेकर खेत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में गया, तो दिलशेर ने फावड़े से गुलाम अहमद पर हमला किया और मृतक अब्दुल माजिद ने लाठी से गुलाम अहमद पर हमला किया। दिलशेर ने गुलाम अहमद के दाहिने घुटने पर फावड़े से हमला किया। उसने मदद के लिए आवाज़ लगाई। आवाज सुनकर, गुलाम अहमद की मां सिरातुन घटनास्थल की ओर बढ़ी जिन पर घायल गवाह हलीमा बीबी (अ.सा.- 3) ने लाठी से उनके सिर पर हमला किया और दोनों पक्षकारों ने एक-दूसरे पर हमला किया। सिरातुन जमीन पर गिर पड़ी। घटना के बाद, अब्दुल माजिद मौके से भागकर अपने घर चला गया। डॉ. सत्यकेतु गुप्ता (ब.सा.-2) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने गुलाम अहमद का (प्रदर्श-डी/1) के द्वारा दिनांक 8.7.2002 को परीक्षण किया और उसके दाहिने हाथ पर एक कटा हुआ घाव, आकार 12 से.मी. **x** ½ से.मी. **x** मांस की गहराई तक पाया गया। रक्त वाहिकाएं कटी हुई पाई गईं और अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था और बाएं स्कैपुलर क्षेत्र पर एक कटा हुआ घाव, आकार 1 ½ से.मी. **x** 1 से.मी. **x** 1 से.मी. दोनों चोटें गंभीर प्रकृति की थीं। सिर और पैरिएटल और टेम्पोरल क्षेत्र पर एक फटा हुआ घाव, आकार (2 ½ ) से.मी. **x** 1 ½ से.मी. **x** 2 से.मी., 2 से.मी. **x** ½ से.मी. उन्हें एक्स-रे की सलाह दी गई है। दाहिने घुटने पर एक खरोंच, आकार 2 से.मी. **x** 1 से.मी. उन्होंने उसी दिन

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सिरातुन निशा का (प्रदर्श-डी/2) के द्वारा परीक्षण किया और सिर पर कटा हुआ घाव, आकार 4 से.मी. **x** 1 ½ से.मी. **x** ½ से.मी. पाया गया।

8. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर ने अभियुक्त/अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार दोषसिद्धि की और दण्डादेश दिया।

9. हमने अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री अभय तिवारी और राज्य/प्रतिवादी की ओर से श्री राकेश झा, उप-शासकीय अधिवक्ता के तर्क सुने और आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपरोक्त घटना जमीन के विवाद के आधार पर हुई और गुलाम महमूद ने भी शिकायतकर्ता पक्ष के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभिलिखित कराई है। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर पाए गये चोटों की व्याख्या नहीं की है और अपराध की उत्पत्ति को छुपाया है। अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर चोटों की व्याख्या के अभाव में, केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि शिकायतकर्ता पक्ष ने अभियुक्त पक्ष को चोटें पहुंचाईं और फिर उन्होंने प्राइवेट प्रतिरक्षा के

अधिकार का प्रयोग करते हुए चोट पहुंचाई। शिकायतकर्ता पक्ष के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध क्रमांक 42/2002 अभिलिखित की गई थी, जिसमें हालांकि उन्हें आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है लेकिन यह दर्शाता है कि शिकायतकर्ता पक्ष ने अभियुक्त पक्ष को घातक चोटें पहुंचाईं। बचाव पक्ष अपने बचाव को अभियोजन पक्ष के मामले की तरह साबित करने के लिए बाध्य नहीं है। बचाव पक्ष को केवल अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह डालने की आवश्यकता है और वर्तमान मामले में, बचाव पक्ष ने अपना बचाव साबित कर दिया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. विद्वान अधिवक्ता ने ***मोहम्मद रमजानी बनाम दिल्ली राज्य***[1*] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अभिवाक को स्थापित करने के लिए एक अभियुक्त व्यक्ति पर वह भारी बोझ नहीं है जो अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने के लिए है कि अभियुक्त पर लगाए गए अपराध

[1]**AIR** 1980 **SC** 1341

के हर घटक को युक्तिसंगत संदेह से परे स्थापित किया जाए। यह और भी

सुस्थापित है कि जो व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य के जीवन और अंग के आसन्न खतरे का सामना कर रहा है, उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह खतरे को दूर करने के लिए आवश्यक सटीक बल को "सुनहरे पैमाने" में तौले। भले ही वह पल के जोश में अपने बचाव को उस सीमा से थोड़ा आगे ले जाता है जो एक शांत और अविचलित मन द्वारा सटीकता और यथार्थता के साथ गणना करने पर आवश्यक होगा, विधि इसके लिए उचित रास्ता बनाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. दूसरी ओर, विद्वान राज्य/प्रतिवादी अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने अब्दुल माजिद की हत्या करने, हलीमा बीबी की हत्या का प्रयास करने और सिराज और दिलशेर को चोट पहुंचाने के लिए विधि विरुद्ध एकत्रित हुए और विधि विरुद्ध जमाव के समान आशय से उन्होंने उपरोक्त अपराध किए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि शिकायतकर्ता पक्ष के विरुद्ध अपीलार्थीगण के आधार पर काउंटर प्रकरण भी अभिलिखित किया गया था। वर्तमान अपीलार्थीगण ने शिकायतकर्ता पक्ष को अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कोई चोट नहीं पहुंचाई और अपराध के समय उनके पास ऐसा कोई अधिकार उपलब्ध भी नहीं था।

13. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के विवेचन में हमने, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की परीक्षण की है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थीगण ने मृतक अब्दुल माजिद की मृत्यु-पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप मानव-वध पर पर्याप्त विवाद नहीं किया है, दूसरी ओर, डॉ. ए.एल. सोनी (अ.सा.- 14) के साक्ष्य और (प्रदर्श-पी/13) के माध्यम से शव की शव-परीक्षण भी स्थापित है जो बताता है कि उनके कान और सिर पर घातक चोटें पाई गईं और वे उनकी मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थीं और मृत्यु मानव-वध प्रकृति की थी। बचाव पक्ष ने घायल हलीमा बीबी की छाती पर पाए गए घातक चोटों पर भी विवाद नहीं किया है जो छाती पर थ्रू एंड थ्रू छुरा घाव और छिद्रित चोट थी और वह जीवन के लिए घातक थी, दूसरी ओर, अन्यथा डॉ. सत्यकेतु गुप्ता (अ.सा.-19) के साक्ष्य और चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/33) द्वारा भी स्थापित है। सिराज अली और दिलशेर अली के शरीर पर पाया गया साधारण चोट और कटा हुआ घाव भी अपीलार्थीगण द्वारा आक्षेपित नहीं हैं, दूसरी ओर, डॉ. सत्यकेतु गुप्ता (अ.सा.- 19) के साक्ष्य और चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/34 और प्रदर्श-पी/35 द्वारा अभिलिखित हैं। वर्तमान प्रकरण में, शिकायतकर्ता पक्ष का दिनांक 8.7.2002 को डॉ. सत्यकेतु गुप्ता (अ.सा.- 19) द्वारा परीक्षण किया गया जिन्होंने उसी दिन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लगभग 8 बजे अभियुक्त गुलाम अहमद का (प्रदर्श-डी/1) के माध्यम से और उसी दिन अभियुक्त गुलाम सफदर का (प्रदर्श-डी/2) के द्वारा परीक्षण किया। (प्रदर्श-डी/1) और डी/2 अभियुक्त गुलाम अहमद और गुलाम सफदर की चोट का प्रतिवेदन हैं। थाना प्रेमनगर पर शिकायतकर्ता पक्ष के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अभिलिखित वर्तमान अपराध क्रमांक 42/2002, और अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभिलिखित वर्तमान अपराध क्रमांक 41/2002, बताती हैं कि दोनों मामले काउंटर प्रकरण हैं और एक ही समय पर एक ही स्थान पर दोनों पक्षकारों के बीच हुए हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. अभियुक्त/अपीलार्थीगण की प्रश्नगत अपराध में संलिप्तता के संबंध में, दोषसिद्धि चक्षुदर्शी साक्षी/घायल साक्षियों के साक्ष्य, अपीलार्थीगण द्वारा दिए गए मेमोरेण्डम बयानों के आधार पर हथियारों की बरामदगी और हथियारों पर खून की मौजूदगी पर आधारित है। हलीमा बीबी (अ.सा.- 3) आहत साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के समय सुबह लगभग 7-7.30 बजे, अपीलार्थी उनके घर आए, उन्होंने उनके घर को घेर लिया और उन्हें गाली देने के बाद उन पर हमला शुरू कर दिया। अपीलार्थी गुलाम महमूद कुल्हाड़ी लिए हुए था, अपीलार्थी गुलाम अख्तर कटार लिए हुए था, अपीलार्थी गुलाम सफदर रॉड लिए हुए था और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति लाठियाँ लिए

हुए थे। मृतक अब्दुल माजिद दिलशेर के खेत में मौजूद था। झगड़े की आवाज सुनकर, मृतक माजिद घटनास्थल के पास आया, फिर अपीलार्थीगण ने अब्दुल माजिद पर हमला किया। उन्होंने अब्दुल माजिद के सिर पर हमला किया। वह अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी, उस समय, अपीलार्थी गुलाम अख्तर ने कटार से उसके पेट पर चोट पहुंचाई और अन्य अपीलार्थीगण ने भी उस पर हमला किया, उसके पति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाल साक्षी समीना बानो (अ.सा.- 7) ने भी हलीमा बीबी (अ.सा.- 3) के साक्ष्य की पुष्टि की है। एक अन्य आहत साक्षी सिराज अली (अ.सा.- 15) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के समय, सभी अपीलार्थी कुल्हाड़ी, लाठी, रॉड, कटार और तलवार लेकर आए, उन्होंने उनके पिता अब्दुल माजिद पर हमला किया। उसने झगड़े में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन अपीलार्थी गुलाम महमूद ने रॉड से उसके सिर पर हमला किया, उन्होंने अब्दुल माजिद को मौके पर ही मार डाला। उन्होंने उसके भाई दिलशेर पर भी हमला किया और अपीलार्थी गुलाम महमूद ने कटार से हमला किया। छत्तरधारी (अ.सा.- 1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने अब्दुल माजिद के शव पर चोटें देखीं, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। जमशेर अली (अ.सा.- 2) ने हलीमा बीबी (अ.सा.-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3) के साक्ष्य की पुष्टि की है। अपनी प्रतिपरीक्षण में, जमशेर अली (अ.सा.- 2) ने स्वीकार किया है कि दोनों पक्ष पड़ोसी हैं। उन्होंने जमीन के विवाद से संबंधित अपने याचिका के कंडिका 15 में स्वीकार किया है। उन्होंने आरोपों से इनकार किया है कि विवाद, दिलशेर और अब्दुल माजिद ने लाठी और फावड़े से गुलाम अहमद पर हमला किया और कंडिका 21 में आरोपों से भी इनकार किया है कि उन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया और हलीमा बीबी (अ.सा.- 3), इस गवाह की मां ने भी सह-अभियुक्त सिरातुन के सिर पर लाठी से हमला किया और वह गिर पड़ी। उन्होंने यह भी इनकार किया कि दोनों पक्षकारों ने आपस में झगड़ा किया और एक-दूसरे पर हमला किया। उन्होंने अपने साक्ष्य के कंडिका 29 में यह भी इनकार किया कि उन्होंने गुलाम अहमद और सिरातुन को कोई चोट पहुंचाई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. बचाव पक्ष ने हलीमा बीबी (अ.सा.- 3) की विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया। अपनी प्रतिपरीक्षण में उन्होंने एक लड़की और जमीन के विवाद से संबंधित दोनों पक्षकारों के बीच दुश्मनी को स्वीकार किया, लेकिन इन आरोपों से इनकार किया कि सबसे पहले, उन्होंने अभियुक्त पक्ष पर हमला किया। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका 15 में विशेष रूप से इन आरोपों से इनकार किया कि उनके पति ने सबसे पहले सह-अभियुक्त सिरातुन पर

हमला किया। समीना बानो (अ.सा.- 7), मृतक अब्दुल माजिद की बेटी, ने अपनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दोनों पक्ष पड़ोसी हैं और सबसे पहले, घटना उनके घर के पीछे हुई, लेकिन उन्होंने यह इनकार किया कि उन्होंने अभियुक्त पक्ष पर हमला किया। बचाव पक्ष ने सिराज अली (अ.सा.- 15) का विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया है। अपनी विस्तृत प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने आरोपों से इनकार किया कि उनके भाई दिलशर अली ने फावड़े से गुलाम अहमद पर हमला किया और उन्होंने अभियुक्त पक्ष पर हमला किया। उन्होंने यह भी इनकार किया कि वे सिरातुन पर हमला कर रहे थे, तब अभियुक्त पक्ष उसे बचाने आया। चोटों का परीक्षण डॉ. सत्यकेतु गुप्ता (अ.सा.- 19) द्वारा किया गया। बचाव पक्ष ने इस गवाह की बचाव साक्षी 2 के रूप में प्रतिपरीक्षण किया। उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक 8.7.2002 को उन्होंने अपीलार्थी गुलाम अहमद का (प्रदर्श-डी/1) के द्वारा परीक्षण किया और उक्त निर्णय के कंडिका 7 में उल्लिखित चार चोटें पाईं। उनका साक्ष्य और प्रतिवेदन (प्रदर्श-डी/1) बताती है कि स्कैपुलर क्षेत्र और सिर में दो कटे हुए और एक फटा हुआ घाव पाए गए। डॉ. सत्यकेतु गुप्ता का साक्ष्य और प्रतिवेदन (प्रदर्श-डी/2) यह भी बताती है कि सिरातुन निशा के सिर पर एक कटा हुआ घाव पाया गया जो बताता है कि दोनों

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

व्यक्तियों को घटना के समय चोटें आई थीं। अपीलार्थी गुलाम अहमद के दाहिने हाथ पर पाया गया था आकार 12 से.मी. **x** 5.5 से.मी. की चोट, मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं कटी हुई पाई गईं, अत्यधिक रक्तस्राव मौजूद था और चोटें गंभीर प्रकृति की थीं। इसी तरह, स्कैपुलर क्षेत्र पर पाया गया था दूसरी चोट भी गंभीर प्रकृति की थी। यह दर्शाता है कि अपीलार्थी गुलाम अहमद और सरातुन निशा के शरीर पर पायी गयी चोटें स्व-प्रयुक्त और मामूली नहीं थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त पक्ष के शरीर पर पाए गए चोटों की व्याख्या नहीं की है, हालांकि सभी मामलों में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर पाए गए चोटों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, यदि वे मामूली प्रकृति की हैं और झगड़े के दौरान हो सकती हैं, लेकिन यदि चोटें गंभीर प्रकृति की हैं और उल्लेखनीय आकार की हैं, तो अभियोजन पक्ष चोटों की व्याख्या करने के लिए बाध्य है, अन्यथा, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सबसे पहले, शिकायतकर्ता पक्ष ने अभियुक्त पर हमला किया, फिर उन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष को चोटें पहुंचाईं। थाना प्रभारी खुलेश्वर साय पैकरा (अ.सा.- 18) ने विवेचना की है, ने अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका 19 में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी गुलाम अहमद ने भी दिलशेर और अन्य के

विरुद्ध प्रतिवेदन अभिलिखित कराई है। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका 23 में यह भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थी गुलाम अहमद और सिरातुन निशा का भी डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया गया और सिरातुन निशा को दिनांक 8.7.2002 से दिनांक 29.7.2002 तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस गवाह के साक्ष्य से पता चलता है कि सिरातुन निशा की चोटें भी गंभीर प्रकृति की थीं उनके सिर पर कटा हुआ घाव पाया गया था और यहां तक कि उन्हें 21 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभियोजन पक्ष ने अन्य गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया है, लेकिन उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने घटना के बाद व्यक्तियों पर चोटें देखीं। उन्होंने कहा है कि उन्हें पता चला कि दोनों पक्षकारों के बीच झगड़ा हुआ और दोनों पक्षकारों को चोटें आईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलार्थी शिकायतकर्ता पक्ष के घर के पास हथियारों के साथ आए और उन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया और अब्दुल माजिद की मृत्यु का कारण बने | घायल हलीमा बीबी को सामने के हिस्से पेट से पीछे के हिस्से (पीठ) तक कटार से गंभीर चोट पहुंचाई और दिलशेर अली और सिराज अली को धारदार हथियार से चोटें पहुंचाईं, जिससे उन्होंने चार व्यक्तियों को चोटें पहुंचाईं और चार व्यक्तियों में

से एक अब्दुल माजिद की मौके पर ही मौत हो गई। हलीमा बीबी (अ.सा.- 3) को कटार से चोटें आईं और दो अन्य व्यक्तियों को साधारण चोटें आईं। डॉ. ए.एल. सोनी (अ.सा.- 14) और शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/13) बताती है कि मृतक अब्दुल माजिद के सिर पर दो घातक चोटें पाई गईं। डॉ. सत्यकेतु गुप्ता (अ.सा.- 19) का साक्ष्य और चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/33) बताती है कि हलीमा बीबी के शरीर पर तीन चोटें पाई गईं, घायल सिराज अली की चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/34) बताती है कि उनके शरीर पर दो चोटें पाई गईं और घायल दिलशेर अली की चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/35 बताती है कि दिलशेर अली के शरीर पर तीन चोटें पाई गईं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. जमशेर अली (अ.सा.- 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका 28 में स्वीकार किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 326 के तहत दंडनीय अपराध का दांडिक प्रकरण उनके पिता और भाई के विरुद्ध लंबित है। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका 10 में भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थी पड़ोसी हैं और घर एक-दूसरे से सटे हुए हैं जहां घटना हुई। हलीमा बीबी (अ.सा.- 3) ने अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका 10 में स्वीकार किया है कि

अपीलार्थी पड़ोसी हैं। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका 14 में इन आरोपों से इनकार किया है कि उन्होंने अभियुक्त पक्ष पर हमला किया।

19. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी गुलाम अहमद और एक अन्य घायल सह-अभियुक्त सिरातुन निशा के शरीर पर पहुंचाई गई गंभीर चोटों की व्याख्या नहीं की है। यदि चोटों की व्याख्या अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं की जाती है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियुक्त व्यक्तियों को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार था या सामान्य रूप से अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को निरस्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे पूरी सच्चाई, विशेष रूप से घटना की उत्पत्ति के अनुरूप सामने नहीं आए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. चोट के होने का कारण के प्रश्न से निपटते हुए, उच्चतम न्यायालय ने ***कर्नाटक राज्य बनाम जिनप्पा पयप्पा कुडाची और अन्य*** [2*] के प्रकरण में कंडिका 6 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैं-

> "6. अभियुक्त व्यक्तियों पर अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों के होने का कारण का प्रभाव प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर यदि ऐसी चोटों के होने का कारण के बारे में है, तो यह अधिक से अधिक इस बात के लिए तर्क देने का दायरा

दे सकती है कि अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार था या सामान्य रूप से कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को निरस्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे पूरी सच्चाई, विशेष रूप से घटना की उत्पत्ति के अनुरूप सामने नहीं आए हैं। इस प्रकरण में, घटना बस्टवर्ड क्रॉस पर बस के अंदर ही हुई थी। ए-1 से ए-6 ने अपनी उपस्थिति और अपनी भागीदारी को भी स्वीकार किया। घायल गवाहों का साक्ष्य पर्याप्त रूप से स्थापित करता है कि इन छह अभियुक्तों

ने तीन मृतक व्यक्तियों की मौत का कारण बनने और अ.सा.- 1, 3, 4 और 6 को गंभीर चोटें पहुंचाने वाली घटना में भाग लिया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[2] 1994 **SUPP** (1) **SCC** 178

21. अन्य गवाहों ने विशेष रूप से कहा है कि घटना अब्दुल माजिद के घर के पास हुई जो अपीलार्थीगण के घर से सटा हुआ था। दोनों पक्षकारों की सुबह लगभग 7.30 बजे अपने-अपने घर में मौजूदगी स्वाभाविक थी। अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, अपीलार्थी हथियार लिए हुए थे और उन्होंने घातक चोटें पहुंचाईं। हलीमा बीबी (अ.सा.- 3) के शरीर पर पायी गयी चोटें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि कटार का इस्तेमाल किया गया है। मृतक अब्दुल

माजिद के शव के शव-परीक्षण प्रतिवेदन भी बताती है कि ऐसी चोटें पहुंचाने के समय धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह, घायल सिराज अली और घायल दिलशेर अली के शरीर पर पाया गया था चोट भी बताती है कि उनके शरीर पर कटे हुए घाव भी पाए गए जो दर्शाते हैं कि अपीलार्थीगण ने ऐसी चोटें पहुंचाने के लिए धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया, हालांकि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी गुलाम अहमद और सह-अभियुक्त सिरातुन निशा के शरीर पर पाए गए चोटों की व्याख्या नहीं की है, लेकिन यह बताता है कि उनके शरीर पर धारदार हथियारों से गंभीर चोटें पाई गईं। जो यह दर्शाता है कि शिकायतकर्ता पक्ष के पास भी धारदार हथियार थे और उन्होंने अपीलार्थी गुलाम अहमद और सह-अभियुक्त सिरातुन निशा को चोटें पहुंचाईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इन परिस्थितियों में, नि:संदेह, अपीलार्थीगण के पक्ष को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध था और उन्होंने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया। शिकायतकर्ता पक्ष ने अभियुक्त पक्ष की महिला सिरातुन निशा पर भी हमला किया और अभियुक्त पक्ष ने हलीमा बीबी पर कटार से हमला किया और घातक चोटें पहुंचाईं, हालांकि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय, व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं का

बचाव करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल लगाए, लेकिन इसे सुनहरे पैमाने में नहीं मापा जा सकता है।

23. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलार्थीगण ने अब्दुल माजिद की हत्या सहित चार व्यक्तियों को चोटें पहुंचाईं और हलीमा बीबी (अ.सा.- 3) को घातक चोटें पहुंचाईं यह दर्शाता है कि सभी शिकायतकर्ता पक्ष खतरनाक हथियार नहीं लिए हुए थे, हो सकता है कि मामला यह हो कि उनमें से एक किसी धारदार हथियार से लैस था जिसने अपीलार्थी गुलाम अहमद और सह-अभियुक्त सिरातुन को चोट पहुंचाई, लेकिन चार व्यक्तियों को पहुंचाई गई चोटें, वह भी घातक चोटें, दर्शाती हैं कि वर्तमान अपीलार्थीगण ने अधिक नुकसान पहुंचाया है और अब्दुल माजिद की मानव-वध मृत्यु कारित कर और हलीमा बीबी (अ.सा.- 3) को गंभीर चोट पहुंचाकर अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को अतिक्रमित कर दिया है। लेकिन उन्होंने अब्दुल माजिद की मृत्यु कारित करने के आशय से कोई चोट नहीं पहुंचाई।

24. जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **मोहम्मद रमजानी (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि, कोई व्यक्ति जो स्वयं या किसी अन्य के जीवन और अंग के आसन्न खतरे का सामना कर रहा है, उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह खतरे को दूर करने के लिए आवश्यक सटीक बल को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"सुनहरे पैमाने" में तौले, लेकिन निश्चित रूप से मौत का कारण बनने का कोई आसन्न खतरा नहीं था, फिर घातक चोट पहुंचाना जिसके परिणामस्वरूप मौत हो जाए और एक महिला की छाती पर कटार से थ्रू एंड थ्रू चोट पहुंचाना दर्शाता है कि उन्होंने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को अतिक्रमित कर दिया है और मृतक अब्दुल माजिद की मृत्यु कारित की हैं।

25. अब्दुल माजिद की मृत्यु कारित करने और हलीमा बीबी को घातक चोट पहुंचाने, वह भी छाती पर कटार से थ्रू एंड थ्रू, का कोई मौका नहीं था। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थीगण ने सामान आशय रखते हुए चोट पहुंचाई। नि:संदेह, अपीलार्थीगण ने उन्हें उपलब्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को अतिक्रमित कर दिया और अब्दुल माजिद की मानव-वध का कारण बने, लेकिन अब्दुल माजिद को पहुंचाई गई चोट और अपीलार्थीगण को उपलब्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को एक साथ ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि अपीलार्थीगण ने अब्दुल माजिद की हत्या के योग्य दोषपूर्ण मानव-वध मृत्यु का कारण नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अब्दुल माजिद को घातक चोटें पहुंचाईं जिसमें उन्हें यह ज्ञान था कि वे अब्दुल माजिद की म्रत्यु का कारण बन सकते हैं। अपीलार्थीगण का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भाग II के दायरे में पूरी तरह से आता है। अपीलार्थीगण ने घायल सिराज अली और घायल दिलशर अली को धारदार हथियारों से साधारण चोटें भी पहुंचाईं, जो उन्हें अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए पहुंचाने का हकदार थे।

26. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन में, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 307/34, 324/34 और 324/34 के तहत दोषसिद्धि और दंडादेश दिया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

27. भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के तहत दोषसिद्धि के संबंध में, जिस तरीके से अपीलार्थीगण ने हलीमा बीबी (अ.सा.- 3) को कटार का इस्तेमाल करके चोटें पहुंचाईं और छाती पर थ्रू एंड थ्रू चोट पहुंचाई, यह दर्शाता है कि ऐसी घातक चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं था,वह भी एक महिला को अपीलार्थीगण का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के दायरे में पूरी तरह से आता है।

28. उपरोक्त कारणों से, अपीलार्थीगण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 324/34 और 324/34 के तहत लगाया गया दोषसिद्धि विधि के तहत स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, हालांकि, अपीलार्थीगण पर भारतीय दंड संहिता

की धारा 307/34 के तहत लगाया गया दोषसिद्धि विधि के तहत स्थिर रखे जाने योग्य है।

29. परिणामस्वरूप, दांडिक अपील क्रमांक 152 सन् 2004 और 153 सन् 2004 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण पर धारा 302/34 के तहत लगाया गया दोषसिद्धि और दंड को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II में बदल दिया जाता है और हिरासत की अवधि दिनांक 10.7.2002 से आज तक के कठोर कारावास की दोषसिद्धि और 1000/- रुपये जुर्माने का दंड दिया जाता है, जुर्माना अदा न करने की दशा में, आगे छह महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा। हालांकि, अपीलार्थीगण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के तहत लगाया गया दोषसिद्धि और दण्डादेश यथावत रखा जाता है। अपीलार्थीगण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 और 324/34 के तहत लगाया गया दोषसिद्धि और दण्डादेश यहां अपास्त कर दिए जाते हैं और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 और 324/34 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यदि अपीलार्थीगण द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 और 324/34 के तहत जुर्माना जमा किया गया हो तो उन्हें वापस कर दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

| | |
|---|---|
| सही/- | सही/- |
| टी.पी. शर्मा | आर.एल. झंवर |
| न्यायाधीश | न्यायाधीश |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By : ANKIT SHRIVAS**